मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत पंजीकृत समिति

Madhya Pradesh State Skill Development Mission (MPSSDM)
Regd. Society under Deptt. of Technical Education & Skill Development, GoMP

Advertisement for Appointment of Consultant

Madhya Pradesh State Skill Development Mission Society Under Department of Technical Education and Skill Development, Government for Madhya Pradesh invite application for the post of Consultant 02 (01 post Scheduled Tribe 01 post Schedule Caste) for Detailed job eligibility criteria and selection process please visit our website - www.mpskills.gov.in application shall be submitted to mpssdm.rec@gmail.com in on before 27/01/2018

Chief Executive Officer
MPSSDM,Bhopal

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन पूर्व नाम एमपीसीवेट के कार्यो को संपादित करने के लिए कंसल्टेंट्स की नियुक्ति की शर्ते (TOR)

1.0 **भूमिका** –

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय स्किल डेवल्पमेंट मिशन के क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में मान. मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में विभाग के अंतर्गत"मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन पूर्व नाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद(एमपीसीवेट)" की स्थापना की गई। यह परिषद स्किल डेवल्पमेंट की रणनीति के तहत किसी भी व्यक्ति के ज्ञान और स्किल्स के टेस्टिंग तथा प्रमाणीकरण की व्यवस्था NSQF (National Skill Qualification Framework) के अंतर्गत करेगी एवं प्रदेश के युवाओं को रोजगारोमूलक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी ताकि आर्थिक विकास में हो रही प्रगति के कारण उपलब्ध अवसरों का वे अधिकतम लाभ उठा सकें ।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद(एमपीसीवेट) का नाम परिवर्तित कर मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन(एमपीएसएसडीएम) किया गया।

मिशन के अधीन मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाऐं कार्यरत है :–(1) कौशल विकास केन्द्रों एवं (2) वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय स्किल डेवल्पमेंट मिशन के तहत 23 अन्य विभाग कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहें हैं, जिनको आवश्यक मार्गदर्शन, पाठ्यचर्चा तथा प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व एमपीएसएसडीएम का है। प्रदेश में अल्प अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन तथा स्किल मेंपिग, गैप एनालिसिस एवं जनशक्ति की आवश्यकता के आंकलन आदि के कार्यो के लिये नोडल एजेन्सी है ।

2.0 **उद्देश्य** –

एमपीएसएसडीएम पूर्व नाम एमपीसीवेट के तहत प्रदेश में एक ऐसे आधुनिक एवं विश्वस्तरीय तंत्र को विकसित करना है, जिससे कि शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संसाधनों एवं प्रशिक्षण की उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग कर, बड़े पैमाने पर कौशल विकास के लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा सके तथा परीक्षण एवं प्रमाणीकरण की एक सरल एवं सुगत सुविधा उपलब्ध कराई जा सके । मिशन के विस्तृत उद्देश्य **संलग्नक–1** में दिये गये है ।

3.0 **अपेक्षित परिणाम** (Deliverables)–

मोटे तौर पर कंसल्टेंट्स की नियुक्ति से निम्नलिखित परिणाम अपेक्षित है –

I. कार्यक्रमों के परिणाममूलक मोड में क्रियान्वयन हेतु पणधारियों (Stakholders) के साथ बेहतर नेटवर्किंग ।

II. आगामी 5 वर्षो के लिए एमपीएसएसडीएम का विजन एवं कार्ययोजना ।

III. कौशल विकास केन्द्रों/वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाईडर (वीटीपीज) में –

a. बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन ।

b. कौशल विकास केन्द्रों में संचालित ट्रेड्स के लिये पाठ्यचर्या एवं लर्निंग रिसोर्सेज का निर्माण ।

c. कार्यो की मानिटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु तंत्र तथा उसके दक्षता के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड ।

d. दैनंदिनी संचालन एवं संपादित किये जाने वाले कार्यो की रूप–रेखा ।

e. कौशल विकास केन्द्रों को भविष्य में स्ववित्तीय अथवा पीपीपी मोड में संचालित करने हेतु सुझाव/योजना ।

IV. पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों जैसे कि लोहार,सुनार, बढ़ई,चमार,बुनकर आदि के लिये प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण की व्यवस्था ।

V. आगामी 5 वर्षो के लिये क्षेत्रवार (sectorwise) प्रशिक्षत जनशक्ति की मॉग का आंकलन ।

VI. राष्ट्रीय स्तर की एजेन्सीयों एनएसडीए,एनएसडीसी,सेक्टर स्किल कॉउसिल एवं उद्योगो तथा उद्योग संघों के साथ बेहतर समन्वय ।

VII. प्रदेश में उद्योगों के सीएसआर फंडस का कौशल प्रशिक्षण के लिये उपयोग ।

VIII. अन्य विभागों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर संचालन के लिये समन्वय तथा मार्गदर्शन ।

IX. ई–गवर्नेंस के माध्यम से कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार, पंजीयन, प्रशिक्षण, परीक्षा, प्रमाणीकरण एवं प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण–पत्र प्रदाय करने की एक आधुनिक व्यवस्था।

4.0 सविंदा नियुक्ति के पद –

निम्नलिखित पद सविंदा नियुक्ति के पद कहलाऐंगें,अर्थात्:–

(1) ऐसे पद जो विभागीय सेटअप में सविंदा पद के रूप में स्वीकृत हो।
मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रंमाक एफ 14–2/2012/42(2) दिनांक 23 अक्टूबर 2012 द्वारा मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद(एमपीसीवेट) में एक अतिरिक्त संचालक एवं तीन संयुक्त संचालक के पद के समकक्ष चार पूर्णकालिक कंसल्टेंट्स की नियुक्ति के लिये चार नवीन पद सृजित किये गये।

5.0 सेवा का दायरा –

कंसल्टेंट्स एमपीएसएसडीएम के मिशन, विजन एवं रणनीतिक उद्देश्यों तथा अन्य समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये निर्धारित क्षेत्र के कार्य करेंगे जिससे कि एमपीएसएसडीएम के कार्यकलापों को कुशलता पूर्वक संचालित किया जा सके ।

6.0 प्रशासनिक संरचना –

कंसल्टेंट्स एमपीएसएसडीएम के तहत कार्य करेंगे एवं सीधे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीएसएसडीएम को रिपोर्ट करेंगे ।

7.0 नियुक्ति का तरीका –

सविंदा नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की जा सकेगी, अर्थात्:–

(1) नियम 4 (1) में विहित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से;

8.0 चयन प्रकिया –

साक्षात्कार के द्वारा । साक्षात्कार 100 अंको का होगा जिसका बंटवारा निम्नानुसार है :–

(i)	अर्हकारी परीक्षा परीक्षा एम.बी.ए. की डिग्री में 45 प्रतिशत प्राप्तांक तक के लिए – 30 अंक 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर प्रति 10 प्रतिशत प्राप्तांक पर 5 अंक अधिकतम – 55 अंक
(ii)	अनुभव–न्यूनतम से अधिक होने पर, प्रति वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक ।
(iii)	वोकेशनल एजूकेशन के क्षेत्र में कंसल्टेंट्स का कार्य– प्रोजेक्ट वर्क, रिपोर्ट राईटिंग आदि का अनुभव होने पर अधिकतम 10 अंक ।
(iv)	कम्प्यूटर स्किल्स– अधिकतम 5 अंक ।
(v)	साक्षात्कार – 20 अंक

8.1 उम्मीद्वारो की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीद्वारों की संख्या को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांकों के आधार पर सीमित किया जा सकेगा।

9.0 चयन समिति –

(1) नियम 4 (1) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये चयन समिति का गठन किया जावेगा ।

(2) चयन समिति के गठन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे ।

10.0 आयु–सीमा –

(1) नियम 4 (1) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये आयु सीमा निम्नानुसर होगी परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए भी लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रंमाक सी 3–8/2016/3–एक भोपाल, दिनांक 12 मई 2017 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिये निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा के निर्देश जारी किये गये है जिसके अनुसार कंसल्टेंटस् के पदों के लिये आयु सीमा निम्नुनसार निर्धारित की जाती हैः–

1.

क्रं.	भर्ती का तरीका	न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
(1)	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	21 से 28

2. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु–सीमा में अधिकतम छूट

क्रं.	भर्ती का तरीका	अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
(1)	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 + 12 = 40
(2)	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 + 17 = 45
(3)	पुरूष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28 + 17 = 45
(4)	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	28 + 17 = 45
(5)	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग – शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28 + 17 = 45
(6)	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	28 + 17 = 45
प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु–सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।		

(2) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति जहॉ अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है वहॉ 65 वर्ष की आयु एवं जहॉ अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष है वहॉ 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी ।

11.0 नियुक्ति के लिये अर्हताए तथा पात्रता मापदण्ड –

सविंदा नियुक्ति के मामलों में नियुक्ति के लिए अर्हताएं तथा पात्रता मापदण्ड वही होंगे, जैसा कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 एवं 6 में विहित है। सविंदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षाणिक आर्हताऐं एवं अन्य अर्हताऐं का विवरण निम्नानुसार है।

11.1 कंसल्टेंट –

a) इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में यूजीसी/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ एमबीए ।

b) कौशल प्रशिक्षण/विकास के विषय/क्षेत्र में नयूनतम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । कौशल विकास में शासकीय क्षेत्र में कार्य करने को प्राथमिकता दी जावेगी ।

c) शासकीय निजी शीर्ष संस्थाओं से बीई/एमबीए को प्राथमिकता दी जायेगी।

11.2 कंसल्टेंट् के लिये अर्हताऐं :–

a) व्यावहारिक शिक्षा एवं कौशल विकास के वर्तमान परिदृश्य से भिज्ञता तथा इस क्षेत्र में देश एवं प्रदेश की प्राथमिकताओं की जानकारी ।

b) हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में निपुणता तथा प्रतिवेदन तैयार करने की उत्कृष्ट क्षमता ।

c) कम्प्यूटर पर कार्य करने का उत्कृष्ट कौशल ।

d) विश्लेषणात्मक एवं पारस्परिक कौशल की उत्कृष्ट क्षमताएं ।

e) टीम में कार्य करने की योग्यता ।

12.0 सेवानिवृत्त शासकीय सेवको की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएं –

(1) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का गोपनीय चरित्रावली अभिलेख समग्र रूप से "बहुत अच्छा " श्रेणी या उससे उच्च कोटि का नहीं होने पर :

(2) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की निष्ठा के बारे में उसके सेवाकाल के दौरान किसी भी समय कोई संदेह या आक्षेप किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे में उसकी ख्याती अच्छी नहीं रही हो,

(3) सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए जाने पर या उसके विरूद्ध विभागीय जॉच/ अभियोजन लंबित होने पर,

(4) पिछले 10 वर्षो के दौरान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कोई दण्ड दिया गया हो,

(5) उसका स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में नहीं होने पर ।

13.0 आरक्षण –

संविदा नियुक्ति के पदों पर मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) एवं उसके अधीन समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे, साथ ही महिला एवं निःशक्तजन आदि के आरक्षण के लिए भी समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे ।

14.0 नियुक्ति की अवधि –

(1) नियम 4 (1) में उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर, संविदा नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष से अनधिक अवधि हेतु होगी, किन्तु राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी ।

(2) नियम 4(1) में विनिर्दिष्ट पदों के सिवाय,संविदा नियुक्ति की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

(4) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा ।

15.0 संविदा वेतन एवं अन्य सुविधाएं–

(1) नियम–4 (1) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति की स्थिति में देय मासिक एकमुश्त वेतन वह होगा जो संबंधित विभाग द्वारा समय–समय पर वित्त विभाग की सहमति से सामान्यतः या विशेष आदेश द्वारा नियत किया जाए । कंसल्टेंट्स को अधिकतम रूपये 50000/– प्रतिमाह वेतन देय होगा।

(2) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय मंहगाई भत्ते में से देय पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देयक मंहगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत का भी हकदार होगा :

16.0 **अवकाश की पात्रता** – इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्त कंसल्टेंट्स को अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी ।

17.0 **यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं –**

(1) यदि संविदा नियुक्ति के किसी पद के लिए यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाएं, नियमों में विहित नहीं है तो ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के समकक्ष पद पर नियुक्त शासकीय सेवक के समान यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होंगी।

(2) सेवानिवृत्त व्यक्तियें की संविदा नियुक्ति के मामले में, वे संबंधित पद/समकक्ष पद हेतु शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के पात्र होंगे।

18.0 **कार्य स्थल** –

भोपाल परन्तु आवश्यकता अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में समय–समय पर प्रशिक्षण आदि का कार्य ।

19.0 **कंसल्टेंट्स की संख्या, उनके कर्त्तव्य एवं दायित्व–**

19.1 संख्या– कंसल्टेंट्स– कुल 02 पद (अनुसूचित जनजाति –01 पद अनुसूचित जाति–01पद)

1.Consultant-II	**Assessment & Certification**	प्रशिक्षण की समय–सारणी, प्रशिक्षण उपरान्त मूल्यांकन के मानदण्ड, प्रमाणीकरण एवं सीधे मूल्यांकन हेतु तंत्र विकसित करना । अन्य विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रमाणीकरण, विवेचना एवं सांख्यिकी तथा शोध ।
2. Consultant-III	**Counselling, Placement& Need Assessment**	बाजार की मॉग के अनुरूप ट्रेड्स का चयन, नियोजको से नेटवर्किग, राज्य एवं विभिन्न पणधारियों (Stakholders) की मॉग के संदर्भ में तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं का आंकलन, प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण उपरान्त प्लेसमेंट, ट्रेंकिंग, हितग्राहियों से फीडबेक, कौशल विकास केन्द्रों के कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार ।

20.0 अन्य शर्तें –

(1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

(2) संविदा पर चयनित व्यक्ति को नियुक्ति के पूर्व अनुबंध पत्र भरना होगा । **(अनुबंध का प्रारूप संलग्न है)**

(3) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी साथ ही वार्षिक वेतनवृध्दि भी देय नहीं होगी।

(4) संविदा नियुक्त कंसल्टेंटस् का गोपनीय प्रतिवेदन/पीएआर(परफारमेंस एपराइजल रिपोर्ट) लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।

(5) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके/उनके लिए बाध्यकारी होगा।

(6) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी की कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण कियसा गया है:

परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।

(7) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्त के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उस शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 45–क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जाएगी।

संलग्नक–1

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन, के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्य / उत्तरदायित्व
1	बेरोजगार युवक / युवतियों को स्वरोजगार, उपभोक्ता सेवा एवं उद्योग आधारित रोजगार के लिए तैयार करने बावत् तकनीकी कौशल विकास के कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा इन योजनाओं को क्रियान्वित करना ।
2	स्कूल छोड़ चुके युवाओ, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् मजदूर,विभिन्न उपभोक्ता सेवाओं में संलग्न अकुशल कारीगरों तथा उद्योागों से जुड़े मजदूरों के लिए दक्षता आधारित पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रशिक्षण देना एवं प्रमाणीकरण करना ।
3	विभिन्न समूहों / आद्योगिक संगठनों की आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तर के कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम तैयार करना, जिनका कि राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण हो एवं कार्यक्रमों को आगे की शिक्षा हेतु मान्यता दिलाना ।
4.	प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु लचीली पद्धति (Flexible Delivery mechanism) विकसित करना जिससे कि अंशकालीन, सप्ताहांत, पूर्णकालिक, ऑनसाईट / ऑफ साईट प्रशिक्षण दिया जा सके ।
5.	स्किल डेवलपमेंट की राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रादेशिक स्तर पर मॉनिटरिंग एवं योजना बनाने का कार्य ।
6.	अनौपचारिक पाठ्यक्रम आधारित व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने की नीति एवं कार्यक्रम तैयार करना तथा पूर्व अर्जित ज्ञान (prior acquired learning) को मान्यता प्रदान करने हेतु पद्धति विकसित करना ।
7.	प्रदेश में उपलब्ध प्रशिक्षण संसाधनों को Public Private Partnership के माध्यम से समेकित कर विकसित करना ।
8.	समाज के समस्त वर्गो के हितो को (inclusive growth) दृष्टिगत रखते हुए समान रूप से प्रशिक्षण के अवसर एपलब्ध कराना ।
9.	प्रशिक्षको के प्रशिक्षण का कार्य, प्रशिक्षण में नवाचार (innovation) को प्रोत्साहित करना एवं सलाहकार सेवाएं देना ।
10.	गुणवत्ता एवं स्तर (Quality and Standard) के लिए मानदंड (norms) निर्धारित करना ।
11.	निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण संपादित करने के लिए सशुल्क संबद्धता (Affiliation) देना ।
12.	राज्य एवं विभिन्न हितग्राहियों (Stak holders) की मॉग के संदर्भ में सतत् रूप से तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं का आंकलन करना ।